आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
18/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **बंदोबस्ती अपील 11/2014** **आर्थर मिंज बनाम् प्रतिभा मिंज व अन्य** प्रश्नगत् बंदोबस्त अपील बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची द्वारा अपीलवाद संख्या–08/2011 (खिजरी) में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। दिनांक–17.08.2014 को यह अपील सुनवाई हेतु अंगीकृत किया गया तथा विपक्षी को नोटिस निर्गत किये गये, किन्तु आवेदक लगातार न्यायालय से अनुपस्थित रहे। दिनांक–13.03.2018 को विपक्षी द्वारा हाजिरी दी गयी, किन्तु आवेदक अनुपस्थित रहे। दिनांक–02.03.2020 को विपक्षी के तरफ से आवेदक के मृत्यु की सूचना दी गयी। किन्तु आवेदकों के तरफ से कोई प्रतिस्थापन आवेदन दायर नहीं किया गया अथवा किसी भी तिथि को उपस्थिति भी दर्ज नहीं करायी गयी। दिनांक–17.01.2022, 21.03.2022, 28.03.2022 तथा 07.04.2022 को मौका दिये जाने के पश्चात् भी आवेदक अनुपस्थित रहे। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। यह विषय मुख्यतः उरांव पारम्परिक नियमों के आधार पर पिता के सम्पति में पुत्री के अधिकारों से संबंधित है। विवादित जमीन माडू उरांव की खतियानी भूमि है, जिनके एकमात्र पुत्र शरण लिण्डा थे। उनके मृत्यु के पश्चात् उनकी 03 पुत्रियां शांति मिंज, अनिता मिंज एवं प्रभा मिंज प्रश्नगत् भूमि के दखल में रहे। अंचल अधिकारी द्वारा विपक्षी के माता के नाम से वर्ष–1985–86 में उक्त भूमि को दाखिल–खारिज किया जा चुका है तथा नियमित रूप से रसीद निर्गत है। आवेदक प्रश्नगत् भूमि पर विपक्षी के दावे को पारम्परिक नियम के आधार पर गलत बताते है तथा एक शरण लिण्डा के एक अन्य भाई विश्राम लिण्डा के पुत्र होने के आधार पर उक्त भूमि पर अपना दखल का दावा कर रहे है। उभयपक्षों के बीच Title	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	Suit-01/2003 दायर किया गया था, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है। आवेदकों का दावा इसी आदेश पर आधारित है। निम्न न्यायालयों द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच के पश्चात् यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया कि माडू उरांव के एकमात्र पुत्र शरण लिण्डा ही थे तथा आवेदक के पारिवारिक सूची एवं उनके पिता विश्राम मिंज के रेलवे में नौकरी से संबंधित सेवा पुस्त में पिता का नाम जहूर मिंज के रूप में दर्ज है। स्पष्टतः आवेदक खतियानी रैयत के वारिस होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके, जिस कारण निम्न न्यायालयों में प्रतिवादियों के दखल के आधार पर खतियान संधारण का आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय में अपने पुनरीक्षण आवेदन में आवेदकों के तरफ से कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक की मृत्यु के पश्चात् अभी तक प्रतिस्थापन की कार्रवाई भी लम्बित है। विगत् 08 वर्षों से आवेदकों की तरफ से कोई पैरवी नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित Wkulkarni 18/4/12 प्रमण्डलीय आयुक्त Wkulkarni 18/4/12 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.09 14:11:10 +05:30
Location: 192.168.1.40